

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 239]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 31 जुलाई 2023—श्रावण 9, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2023

क्र. CT-8-0002-2023-Sec-1-पांच-(CT) (30).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिश पर, इस विभाग की अधिसूचना क्र. CT-8-0002-2023-Sec-1-पांच-(CT) (09), दिनांक 21 अप्रैल, 2023 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, शब्दों, अक्षरों और अंकों, "30 जून, 2023" के स्थान पर, शब्दों, अक्षरों और अंकों, "31 अगस्त, 2023" को प्रतिस्थापित किया जाएगा.

2. यह अधिसूचना 30 जून, 2023 से प्रभावी मानी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2023

क्र. CT-8-0002-2023-Sec-1-पांच-(CT).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT-8-0002-2023-Sec-1-पांच-(CT) (30), दिनांक 31 जुलाई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 31st July 2023

No. CT-8-0002-2023-Sec-1-V-(CT)(30).—In exercise of the powers conferred by Section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's notification No. CT-8-0002-2023-Sec-1-V-(CT) (09), dated 21st April 2023, namely:—

In the said notification, for the words, letter and figure "30th day of June, 2023" the words, letter and figure "31st day of August, 2023" shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 30th day of June, 2023.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.